प्रश्नोतर से सबंधित परिशिष्ट
भाग - 135 परिशिष्ट 'दो' परिशिष्ट-एक [21/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 135]

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 25/08/2006

क्रमांक एफ 44–12/20–2/2006

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

विषयः–प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।

–0–

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/ उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है ।

संलग्न–परिशिष्ट एक एवं दो

हस्ता0/–
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 25.08.2006

पृ. क्रमांक एफ 44–12/20–2/2006

प्रतिलिपिः–

1–सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
2–सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
3–सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।
4–समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
5–समस्त कलेक्टर, म0प्र0 ।
6–समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0 प्र0 ।
7–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।

हस्ता0/–
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Kusum
अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा-2

परिशिष्ट–2

ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शालाऐं खोलने हेतु वर्तमान तथा नये मापदण्ड

क.	मद	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय			हाई स्कूल		
		वर्तमान मापदण्ड		नये मापदण्ड	वर्तमान मापदण्ड		नये मापदण्ड
		सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा/कन्या शाला	सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा/कन्या शाला
1	जनसंख्या	3000	6000	3000	1500	3000	200
2	इसी प्रकार की विद्यमान शाला से निकटतम दूरी	5 कि.मी.	5 कि.मी.	8 कि.मी.	3 कि.मी.	3 कि.मी.	5 कि.मी.
3	पोषक शालाओं में फीडर कक्षाओं को कुल दर्ज संख्या	100	100	100	80	80	80
4	कालांतर में भवन निर्माण हेतु शासकीय/निजी (दान की) उपलब्ध भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
5	जन सहयोग	अन्य बाते समान होने पर जनसहयोग उपलब्ध होने पर किसी स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।					
6	टीप	1. यदि क्षेत्र की शालाओं में कुल दर्ज छात्रा संख्या इतनी हो कि शिक्षक – छात्रा अनुपात 1:45 से अधिक हो गया हो तो दूरी की शर्त लागू नहीं होगी। 2. किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा । 3. शाला की स्थापना करने वाली जनपद पंचायत को यह संकल्प पारित करना होगा कि वह शीघ्र ही विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करेगा । हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा माध्यमिक विद्यालय भवन हेतु विभाग से तथा प्राथमिक/कनिष्ठ विद्यालय हेतु जनसहयोग रा.यो. आदि के बजट से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी ।					

सही/–
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा-2

परिशिष्ट–1

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
3. कक्षा 11 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा-2

सही/–
अवर सचिव,
म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय